बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

Contact No:7763817975, 7763818077, email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website-www.bsptcl.in

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

कार्यालय आदेश सं0 – 93 / पटना, दिनांकः– 24/02/2025 /
T-V/Misc/Prom-1561/2023

पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के गठन के समय से लेकर कंपनी के गठन के उपरान्त भी विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय संवर्ग के कर्मियों की वरीयता सूची का निर्धारण एवं प्रोन्नति के मामले संचरण ज़ोन, कार्यालय स्तर पर हीं निष्पादित होते रहे हैं। इसी क्रम मे संचरण ज़ोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–612 दिनांक–13.10.2023 द्वारा क्षेत्राधीन कार्यरत तकनीकी कोटि–I की अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गई। इस वरीयता सूची के आधार पर संचरण ज़ोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–09 दिनांक–22.02.2024 द्वारा तकनीकी कोटि–I के उच्चतर पद के कार्यकारी प्रभार हेतु सुयोग्य तकनीकी कोटि–I के कर्मियों को अग्रजन के पद का कार्यकारी प्रभार दिया गया। उक्त कार्यालय आदेश के द्वारा अग्रजन पद के कार्यकारी प्रभार प्राप्त तकनीकी कर्मी यथा श्री संजीव कुमार शर्मा (क्रमांक–07) एवं श्री अभय बहादुर सिंह (क्रमांक–23) को भी अग्रजन पद का कार्यकारी प्रभार दिया गया, जिसपर कतिपय तकनीकी कर्मियों द्वारा संचरण ज़ोन, पटना कार्यालय को आवेदन समर्पित कर यह आपत्ति दर्ज की गई कि उक्त दोनों कर्मियों का स्थानांतरण उनके अनुरोध पर संचरण ज़ोन, मुजफ्फरपुर से संचरण ज़ोन, पटना मे किया गया है, अतएव पूर्ववर्ती बिहार राज्य बोर्ड के पत्रांक–48 दिनांक–15.07.1985 में निहित प्रावधान के आलोक मे उन दोनों का उच्चतर पद पर दिया गया प्रभार नियमसंगत नहीं है। तदालोक में संचरण ज़ोन, पटना के पत्रांक–163 दिनांक–12.03.2024 द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी) एवं संचरण अंचल, पटना (पश्चिमी) को उक्त दोनों तकनीकी कर्मियों के अग्रजन पद के कार्यकारी प्रभार के फलस्वरूप वेतन निर्धारण को तत्काल स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।

तत्पश्चात् संचरण जोन, पटना के पत्रांक–164 दिनांक–12.03.2024 द्वारा महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०), कंपनी मुख्यालय पटना से श्री संजीव कुमार शर्मा एवं श्री अभय बहादुर सिंह को संविदा अवधि में अन्य जोन से संचरण जोन पटना मे सेवा कंपनी हित में अथवा अनुरोध पर स्थानांतरित होने संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक–1132 दिनांक–25.04.2024 के द्वारा संचरण जोन, पटना को निदेश संसूचित किया गया कि– **"संचरण जोन, पटना के पत्रांक–612 दिनांक–13.10.2023 के द्वारा निर्गत अंतिम (Reconsidered) वरीयता सूची को पुनः समीक्षा करते हुए अनुबंध नियोजन काल अर्थात दिनांक–01.04.2015 के पूर्व अनुरोध पर स्थानान्तरित वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति अनुबंध पर हुई तथा दिनांक–01.04.2015 से प्रभाव से सेवा नियमित की गई, पर पूर्ववर्ती बोर्ड के पत्रांक–48 दिनांक–15.07.1985 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाय।"**

कृ०पृ०उ०

तत्पश्चात् कतिपय तकनीकी कर्मियों एवं यूनियन संगठनों द्वारा कंपनी मुख्यालय के पत्रांक–1132 दिनांक–25.04.2024 पर आपत्ति दर्ज की गई। फलतः समीक्षोपरांत इस कार्यालय के पत्रांक–1932 दिनांक–01.08.2024 द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–1132 दिनांक–25.04.2024 को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किये जाने संबंधी निदेश संचरण ज़ोन, पटना को संसूचित किया गया। इस आलोक में संचरण ज़ोन, पटना के पत्रांक–493 दिनांक–28.08.2024 द्वारा तकनीक कोटि–I की वरीयता सूची संशोधित कर दी गई। इस वरीयता सूची के विरूद्ध उक्त दोनों तकनीकी कर्मियों (श्री संजीव कुमार शर्मा, तकनीकी कोटि–I, ग्रिड उपकेन्द्र, गौरीचक एवं श्री अभय बहादुर सिंह, तकनीकी कोटि–I, अभिचालन एवं परीक्षण, सचंरण अंचल, पटना (पश्चिमी)) द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण ज़ोन, पटना के समक्ष आपत्ति दर्ज की गई; जिसे संचरण ज़ोन, पटना द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके विरूद्ध उक्त दोनों तकनीकी कर्मियों द्वारा प्रबंध निदेशक महोदय के समक्ष आपत्ति दर्ज की गई।

श्री संजीव कुमार शर्मा, तकनीकी कोटि–I, संचरण अवर प्रमंडल, गौरीचक, के आवेदन दिनांक–07.08.2024, 13.08.2024 तथा दिनांक–15.10.2024 **एवं** श्री अभय बहादुर सिंह, तकनीकी कोटि–I, अभिचालन एवं परीक्षण, सचंरण अंचल, पटना (पश्चिमी) के आवेदन दिनांक–09.08.2024, 19.08.2024 तथा 23.09.2024 द्वारा समर्पित अभ्यावेदनों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित तथ्य परिलक्षित हुए–

1- श्री संजीव कुमार शर्मा एवं श्री अभय बहादुर सिंह की नियुक्ति संविदा के आधार पर पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में संचरण ज़ोन, मुजफ्फरपुर के अधीन हुई थी तथा संविदा अवधि में अर्थात दिनांक–01.04.2015 के पूर्व इन दोनों कर्मियो का स्थानांतरण संचरण ज़ोन, पटना के अधीन किया गया। अतः इन दोनों कर्मियों के वरीयता निर्धारण में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पत्रांक–48 दिनांक–15.07.1985 के प्रावधान प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

2- उक्त दोनों कर्मियों की नियमित नियुक्ति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा संचरण ज़ोन, पटना के अधीन की गई। उक्त कार्यालय आदेश की कंडिका–(vii) में वरीयता के बिन्दु पर निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैः–

"The seniority of the contractually engaged employees on appointment on regularization in regular pay scale shall be fixed below the employees appointed in regular pay scale and on consolidated pay before the date of this appointment. The inter-se-seniority among the contractually engaged employee will be fixed on the basis of the year of their engagement and the points obtained in the merit list of the contractual employment".

3- विदित हो कि संविदा कर्मियों द्वारा संविदा अवधि को ACP/MACP के लिये सेवावधि मान्य करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–13542/2019 The Bihar State

कृ0पृ0उ0

Electricty Employees Association & Others vs BSPHCL & Others दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–07.08.2019 को निम्न आदेश पारित किया गयाः–

"The matter is remitted to the Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power Holding Company Limited (Respondent No. 2) for writing out a fresh order in accordance with law regarding the according of the benefit of counting past services rendered by the petitioners during the contractual period for the purposes of granting them the benefit of A.C.P. / M.A.C.P".

उक्त आदेश के विरूद्ध Respondent Management अर्थात् BSPHCL द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष LPA No-1554 of 2019 BSPHCL & Others vs The Bihar State Electricty Employees Association & Others दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.01.2024 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश का Operative part इस प्रकार हैः–

"Contractual employees whose service are regularized on the basis of past temporary service, shall not be entitled to any other benefits from the original date of his joining on contractual basis or form any other retrospective date as is evident from the conditions stipulated in the order of regularization date 31.05.2015. As long as those conditions are not questioned before competent forum and such conditions are set aside in such an event only. The respondents are entitled to have certain benefits with reference to past contractual service. As on this day whatever the terms and conditions stipulated in the order of regularzation dated 31.03.2015 are intact, therefore the learned single judge has commited error in allowing the writ petition."

4- उक्त मामले में विधि परामर्शी बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। विधि परामर्शी का मंतव्य इस प्रकार हैः–

"It appears that those Assistant Operators who were working on Contract basis were regularly appointed as Assistant Operator w.e.f 01.04.2015. The order of their regularization displays their inter-se-seniority which must have been issued on merit as per their merit list at the time of appointment on contract basis.

Therefore, consequent upon their regular employment as Assistant Operator w.e.f 01.04.2015 their Inter-se-seniority cannot be disturbed for their transfer on request or otherwise aspects in the matter prior to 01.04.2015. It goes without saying `that on examining all the pros and cons and keeping in view their entire service

कृ०पृ०उ०

records for the job rendered by them during contract period, their services were regularized w.e.f. 01.04.2015. Therefore, their Inter-se-seniority shall remain intact in the facts and circumstances as enumerated in the office notes.

In view of the above, the proposal of the office appears to be in order.

उक्त तथ्यों, न्यायादेशों एवं विधिक मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि– संचरण जोन, पटना के पत्रांक–163 दिनांक–12.03.2024 द्वारा संचरण अंचल, पटना (पश्चिमी) एवं संचरण अंचल, पटना (पूर्वी) को दिये गये निदेश को रद्द करते हुए महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना को कंपनी मुख्यालय के पत्रांक–1132 दिनांक–25.04.2024 को लागू करने के साथ–साथ संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–09 दिनांक–22.02.2024 द्वारा अग्रजन के पद पर कार्यकारी प्रभार के तहत हुई प्रोन्नति का वित्तीय लाभ दिये जाने का निदेश दिया जाय।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के पत्रांक–163 दिनांक–12.03.2024 द्वारा संचरण अंचल, पटना (पश्चिमी) एवं संचरण अंचल, पटना (पूर्वी) को दिये गये निदेश को रद्द करते हुए महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना को कंपनी मुख्यालय के पत्रांक–1132 दिनांक–25.04.2024 को लागू करने के साथ–साथ संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–09 दिनांक–22.02.2024 द्वारा अग्रजन के पद पर कार्यकारी प्रभार के तहत हुई प्रोन्नति का वित्तीय लाभ दिये जाने का निदेश दिया जाता है।

आदेशानुसार,

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उप–महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक.. पटना/ दिनांक......................................

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग)कंपनी लि0/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0 पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उप–महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 517 **पटना/** **दिनांक** 24/02/2025

प्रतिलिपिः— निदेशक (परियोजना/परिचालन), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनी/सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन/सभी मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी अवर सचिव/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/डी0 बी0 ए0/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता/प्रशासी पदाधिकारी (ERP)/सभी प्रशासी पदाधिकारी/श्री संजीव कुमार शर्मा, तकनीकी कोटि–I, संचरण अवर प्रमंडल, गौरीचक/श्री अभय बहादुर सिंह, तकनीकी कोटि–I, अभिचालन एवं परीक्षण, सचंरण अंचल, पटना (पश्चिमी) बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, सचंरण ज़ोन, पटना से अनुरोध है कि उक्त निर्णय के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

3. डी0 बी0 ए0 से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेवसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा की जाय।

24-02-25

(राजीव कुमार सिंह)
उप–महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

24.02.25